बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 14 / 2020– 422

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गया अंचल, गया।

पटना–14, दिनांक– 18 / 05 / 2020

विषय : औरंगाबाद जिलान्तर्गत बी०आर०बी०सी०एल० लिमिटेड द्वारा Makeup Water System के सब–स्टेशन निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.346 हे० वन भूमि का "उप महाप्रबंधक (पु० एवं पु०), बी०आर०बी०सी०एल० लि०, नवीनगर, औरंगाबाद के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन संरक्षक, गया अंचल, गया द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 13.05.2011 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 474 दिनांक 30.08.2012 के आलोक में तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार, के पत्रांक 462 (ई०) दिनांक 14.05.2020 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को Stage-I स्वीकृति निर्गत करने हेतु सहमति संसूचित की गयी है।

तद्आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ औरंगाबाद जिलान्तर्गत बी०आर०बी०सी०एल० लिमिटेड द्वारा Makeup Water System के सब–स्टेशन निर्माण हेतु 0.346 हे० वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है–

(i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

(ii) यद्यपि परियोजना निर्माण में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं होना है, परन्तु हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों का रैखिक वृक्षारोपण परियोजना खर्च पर किया जायेगा। इस निमित्त प्रयोक्ता एजेंसी रू० 7,31,136 / – मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेगी।

(iii) अपयोजित होने वाली 0.346 हे० वन भूमि का NPV प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (ई०), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा। इसके तहत 6.26 लाख रू० प्रति हे० की दर पर कुल रू० 2,16,596 / – मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेगी।

(iv) क्षतिपूरक वनीकरण एवं NPV मद की कुल राशि (रू० 7,31,136.00 + 2,16,596.00) रू० 9,47,732/– (रूपये नौ लाख सैतालीस हजार सात सौ बत्तीस) मात्र को मंत्रालय के वेब–साईट **parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराया जायेगा।**

(v) उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाएगी।

(vi) प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।

(vii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

(viii) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।

(ix) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये वन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।

(x) वृक्षों एवं संवाहक (Conductors) के बीच न्यूनतम 5.50 मी० की दूरी रखी जायेगी। वृक्ष खुले तार से संपर्क में नहीं आये इसके लिये नियमित रूप से प्रयोक्ता एजेंसी/पैतृक विभाग द्वारा उसकी छँटाई की जायेगी।

(xi) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।

(xii) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्त्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि वन एवं वन्यप्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्यकारी एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहें हैं।

(xiii) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

(xiv) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय–समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।

(xv) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त्त आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।

(xvi) उपभोक्ता अभिकरण [उप महाप्रबंधक (पु० एवं पु०), बी०आर०बी०सी०एल० लि०, नवीनगर, औरंगाबाद] अपयोजित वन भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकार/विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/ अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।

अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य जिलों के लिये 1 (एक) हे० वन भूमि के अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के तहत अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। नोडल पदधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा वन भूमि अपयोजन की अन्तिम स्वीकृति आदेश निर्गत करने के पश्चात ही उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–व.सं./14/2020–422 दिनांक 18/05/2020

प्रतिलिपि: वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद वन प्रमंडल औरंगाबाद/ उप महाप्रबंधक (पु० एवं पु०), बी०आर०डी०सी०एल० लि०, नवीनगर, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–व.सं./14/2020–422 दिनांक 18/05/2020

प्रतिलिपि: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय प्राधिकरण, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–व.सं./14/2020–422 दिनांक 18/05/2020

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.5.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।